यह निरीक्षण प्रतिवेदन संयुक्त सचिव सचिवालय प्रशासन (लेखा अनुभाग 4651) उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

संयुक्त सचिव सचिवालय (लेखा अनुभाग 4651) उत्तराखंड शासन देहरादून के 02/2018 से 06/ 2020 तक के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29-07-2020 से 07-08-2020 तक श्री पी० के० गुप्ता वरिष्ठ लेखा-परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

1. **भाग-I परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रवि प्रकाश पाठक सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री अखिलेश गुसाई लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.02.2018 से 08.03.2018 तक श्री आर० एस० नेगी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी। जिसमें 10/2016 से 01/2018 तक के लेखाओं की जाँच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः देहरादून

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत	आधि.	बचत/समर्पित
2017-18	-	-	28176.00	27281.00	-	-	-	895.00	-	-
2018-19	-	-	43466.00	42392.00	-	-	-	1074.00	-	-
2019-20	-	-	47714.00	44294.00	-	-		3420.00	-	-

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

संयुक्त सचिव
उप-सचिव
अनुसचिव
अनुभाग अधिकारी
समीक्षा अधिकारी
सहायक समीक्षा अधिकारी

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में संयुक्त सचिव सचिवालय प्रशासन (लेखा अनुभाग 4651) उत्तराखंड शासन देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन संयुक्त सचिव सचिवालय (लेखा अनुभाग 4651) उत्तराखंड शासन देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। दिसम्बर 2018 एवं जून 2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'अ'

शून्य

भाग 2 ब

प्रस्तर 01:- विद्युत बिल का भुगतान न किए जाने के कारण ₹ 79.65 लाख का लंबित दायित्व।

राज्य सम्पति अनुभाग-2 के द्वारा 21 आवास (जो यमुना कालोनी में स्थित हैं) पर नियंत्रण किया जाता है। इन आवासों में कुछ आवास केबिनेट मंत्री, अन्य मंत्रियो को आवंटित है। कुछ आवास अन्य अधिकारियों एवं आयोग को आवंटित किए गए थे। कुछ आवासों में उपभोग की गयी विधुत का भुगतान शासन द्वारा एवं कुछ आवास का अन्य अधियासियों द्वारा किया जा रहा है,

कार्यालय संयुक्त सचिव सचिवालय प्रशासन (लेखा अनुभाग 4651) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 का निम्न 16 आवासों का रु. 7964548/-(7882910+81638) बकाया है।

क्रम सं	आवास का नम्बर	अवधि तक	कुल बकाया ₹	अद्तन बिल की दंडात्मक धनराशि
1	आर 2-	17/05/2020	704829	4762
2	आर 3-	17/05/2020	624838	5079
3	आर 6-	17/05/2020	941832	6766
4	एच 11-	17/05/2020	616887	4694
5	आर 8-	17/05/2020	682089	5928
6	एच 10-	17/05/2020	679202	4900
7	-17ए सुभाष रोड	05/05/2020	474716	7626
8	ए 3-	13/02/2020	176078	1773
9	ए 4-	13/02/2020	375905	2784
10	ए 6-	16/09/2019	163658	3335
11	ए 5-	16/09/2019	519402	8371
12	आर-7	03-09-2019	381823	7229
13	आर-9	16/09/2019	694581	8998
14	ए 7-	14/03/2018	87681	1418
15	आर 1-	05/05/2016	678999	6813
16	ए 2-	15/09/2017	80390	1162
योग			**7882910**	**81638**
महायोग			**7964548**	

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 02:- किराये की टैक्सी की आपूर्ति हेतु एजेंसी के साथ अनुबंध न किया जाना।

भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध एक ऐसा अभिलेख है जिसमे दोनों पक्षों के मध्य नियम एवं शर्तों को स्पष्ट किया जाना होता है। उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017 के नियम (16) एवं (17) मे भी कहा गया है कि क्रय की जाने वाली सामग्री की लागत तथा उसकी प्रकृति को दृष्टि मे रखते हुये, यदि आवश्यक हो तो रख-रखाव हेतु स्पष्ट उल्लेख हो। आपूर्तिकर्ताओं के साथ सभी दायित्वों को, जिसमे वारंटी भी सम्मिलित है, का उल्लेख होना चाहिये।

किराये के वाहनो से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि शासकीय कार्यों के उपयोगार्थ अपरिहार्य परिस्थितियों मे आवश्यकतानुसार किराये की टैक्सी की आपूर्ति हेतु दिनांक 01.10.2015 को निविदा आमंत्रित की गयी एवं न्यूनतम निविददाता वालिया ट्रेवल्स, सी-146, रेसकोर्स देहरादून को समिति द्वारा तथा राज्य सम्पति अनुभाग-02 के आदेश संख्या 1446 द्वारा टैक्सी की आपूर्ति हेतु अनुमोदित किया गया था। आगे अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता वालिया ट्रेवल्स, सी-146, रेसकोर्स देहरादून के साथ कोई अनुबंध/ MOU नहीं किया गया जबकि किराये की टैक्सी पर अप्रैल 2017 से जून 2020 तक रू० 4.69 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

उपर्युक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि वाहन आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध नहीं किया गया है आगामी निविदाओं मे फ़र्मों के साथ अनुबंध गठित किया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किराये की टैक्सी की आपूर्ति करने से पहले एजेंसी के साथ अनुबंध/ MOU किया जाना चाहिए था जिसमे सभी शर्तों का उल्लेख किया जाना चाहिए था।

अत: एजेन्सी के साथ अनुबंध/ MOU न करने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः- 1 सामग्री क्रय में अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना ₹ 1.28 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट)नियमावली जुलाई 2017 के बिन्दु 3 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्वान्त (10) में स्पष्ट प्रवधान है कि निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम **आवश्यक** मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए **आवश्यक** मात्रा को विभाजित नही किया जाऐगा और **न** ही कुल **आवश्यकता** के आंकलित मूल्य के सदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आव''यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट) नियमावली जुलाई 2017 के अध्याय 02 के बिन्दु 34 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर यदि क्रय कि गयी सामग्री का मुल्य रू. 25000 से रू. 250000 तक हो तो क्रय की जाने वाली सामग्री को विभागाघ्यक्ष/कार्यालयाघ्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की **स्थानीय क्रय की संस्तुतियों पर किया जायेगा। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य रूप में प्रमाण पत्र देगा।**

कार्यालय सयुंक्त सचिव, सचिवालय **प्रशासन** (लेखा अनुभाग 4651)उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून के बाउचर अभिलेखो वर्ष 02/2018से 2020–21 (सम्पेक्षा अविध जून 2020 तक) के नमूना **जाँच** मे पाया गया कि वर्ष इकाई द्वारा कुल **आवश्यकता** के आंकलित मूल्य के सदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की **आवश्यकता** से बचने के लिए एक ही ति**थि** को छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया गया है। विवरण निम्न हैः–

क्रम सख्या	देयक पंजिका का क्रम	वर्ष	फर्म का नाम	दिनॉक	बीजक/दिनाक	धनराशि	योग
01	1854	2019–20	मैऐ०केट्रेडर्स देहरादून	21.01.20	072/28.03.2018	49796	49796
02	1855	2019–20	मैंऐ०केट्रेडर्स देहरादून	21.01.20	887/08.02.17	9732	78547
					885/08.02.17	49922	
					886/08.02.17	18893	
योग							128343

इस प्रकार उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामग्री का क्रय टुकडों में नही किया होता तो **निश्चित** ही उक्त क्रय के लिए क्रय समिति के माध्यम से से सामग्री का क्रय करना पड़ता। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामग्री क्रय में नियमों का अनुपालन **सुनिश्चित** नही किया जा सका है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अवगत कराया कि नियमानुसार सामाग्री का क्रय **सुनिश्चित** किया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा **आपत्ति** की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः ₹ 1.28 लाख के सामग्री क्रय में **अधिप्राप्ति** नियमावली का अनुपालन **सुनिश्चित** न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	**भाग दो"अ"प्रस्तर संख्या**	**भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या**	**पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0**
22/2016-17	**-**	**1**	**-**
87/ 2017-18	**1**	**1 क,ख,ग,घ 2,3**	**1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
22/2016-17	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या 1	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी ।	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी । अतः प्रस्तर यथावत रखा जाता है ।	-
87/2017-18	भाग 2"अ" प्रस्तर संख्या 1	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी ।	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी । अतः प्रस्तर यथावत रखा जाता है ।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वेतम कार्य

(शून्य)

<u>भाग - V</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**
सतत् अनियमितताए नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अश्वनी कुमार वर्मा	संयुक्त सचिव

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं एवं जिसका समाधान लेखा परीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हे नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी मे सम्मिलित कर एक प्रति संयुक्त सचिव सचिवालय प्रशासन (लेखा अनुभाग 4651) उत्तराखंड शासन देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप-महालेखाकार/एएमजी-III कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखंड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

AIR- AMG-III/05/2020-21

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III